

दि स्टेट टेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली  
(औद्योगिक प्रबंधन समूह)

26 फरवरी, 2016

परिपत्र सं०:औसं./09/2016

संदर्भ: परिपत्र सं०:औसं./12/2015 दिनांक 29.08.2016

अपने कार्यालयीन कार्य से उत्पन्न कानूनी मामलों में शामिल कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टीए/डीए) की पात्रता के संबंध में ऊपर संदर्भित परिपत्र के प्रावधानों को जारी रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया है:

खण्ड सं. 3

विभागीय जांच आयुक्त (सीडीआई) द्वारा की जाने वाली जांच सहित विभागीय जांच में अभियोजन अथवा बचाव गवाहों के रूप में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों को कार्पोरेशन के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते (टीए/डीए) का भुगतान किया जाएगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।



(समित महापात्र)

महा प्रबंधक(कार्मिक)

वितरण/मानक

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI

(INDUSTRIAL RELATIONS GROUP)

February 26<sup>th</sup>, 2016

CIRCULAR NO: IR/09/2016

Reference: Circular No: IR/12/2015 dated 29.08.2015

In continuation with the provisions contained in the Circular referred above, regarding admissibility of TA/DA to employees/ex-employees involved in law suits arising out of their official duty, the following provision is added:

**Clause No. 3**

Employees/Ex-employees appearing as prosecution or defence witnesses in departmental inquiries including those conducted by Commissioner of Departmental Inquiries (CDI) shall be paid TA/DA as per rules of the Corporation.

This issues with the approval of the Competent Authority.



26.02.16

(Samit Mohapatra)

General Manager(Pers)

Distribution-Standard